संख्या सीडीएन/80/2017-समन्वय
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 7 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में जून, 2019 के माह के लिए मासिक सारांश

अधोहस्ताक्षरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में जून, 2019 के माह के मासिक सरांश के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति हिन्दी भाषा में इसके साथ परिचालित करने का निर्देश हुआ है। इसका अँग्रेजी संस्कारण इस कार्यालय के दिनांक 24.07.2019 के सम-संख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले ही परिचालित किया जा चुका हैं।

कुसुम लता
7/8/2019
(कुसम लता)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23389434

संलग्नक-यथोपरी

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

संलग्नक के साथ एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,
2. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के माननीय उप राष्ट्रपति के सचिव,
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन (श्री भास्कर दास गुप्ता, निदेशक)
5. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री राजेंद्र कुमार, निदेशक)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
7. प्रधान महा निदेशक (एम व सी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ।
8. भारत सरकार के सभी सचिव
9. महिला एवं बाल विकास मंत्री के निजी सचिव/महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव
10. जन सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ।
11. वरिष्ठ तमनीकी निदेशक, एनआईसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के संबंध में जून, 2019 के माह के मासिक सारांश की रिपोर्ट

जून, 2019 को समाप्त होने वाले महीने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित है :

1. संयुक्त कार्यान्वयन सहायता मिशन

विश्व बैंक के साथ संयुक्त कार्यान्वयन सहायता मिशन का आयोजन दिनांक 27, मई से 4 जून, 2019 के दौरान पोषण अभियान के अंतर्गत किया गया था ।

2. पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यकारी समिति की बैठक

पोषण अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 10 जून, 2019 को पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यकारी समिति की सातवीं बैठक आयोजित की गई। तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में अपनाए जा रहे अनुपूरक पोषण कार्यक्रम माडल प्रस्तुत किए । ममित (मिजोरम), पश्चिम सिंहभूम (झारखंड), विदिशा (मध्य प्रदेश) तथा गोंडा (उत्तर प्रदेश) के उपायुक्तों/जिला मैजिस्ट्रेटों ने अपने-अपने जिलों में प्रारांभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा/स्कूल पूर्व शिक्षा संबंधी पहलों का प्रस्तुतिकरण दिया था ।

3. पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019

मंत्रालय ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), हौज खास, नई दिल्ली में दिनांक 21 जून, 2019 को पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया ।

4. वन स्टाप केंद्र और महिला हैल्पलाइन

वर्तमान में, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 506 वन स्टाप केंद्र प्रचालनरत है ।

5. खाद्य एवं पोषण बोर्ड

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार यूनिटों के माध्यम से पोषण, आहार विविधता, खाना पकाने के उचित तरीकों आदि के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए शहरी झुग्गी-बस्तियों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आईसीडीएस के अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और 605 पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी के लिए 465 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया । इन पोषण शिक्षा सत्रों के दौरान स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन का उपयोग करते हुए कम लागत वाले पोषण व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया । फलों एवं संब्जियों के गृह स्तरीय संरक्षण से संबंधित 60 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिनमें से 19 कार्यक्रम केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए ही थे, का आयोजन किया गया था । इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने

आईसीडीएस और स्वास्थ्य मंत्रालय के निचले स्तर के कर्मचारियों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, नवविवाहित महिलाओं, समुदायों तथा पीआरआई आदि के लिए पोषण में 112 अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया ।

6. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

- विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आपसी बातचीत और वार्ता के लिए वीडियों कान्फ्रेंसो का आयोजन नियमित आधार पर किया जाता है।
- मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस को पूरी तरह से कार्यान्वित करने से सरकारी कोष में बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, कई अंतरमंत्रालयी संचार ई-मेल के माध्यम से किए जाते हैं ।
- सभी नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं/अधिनियमों/मंजूरी आदेशों आदि को हितधारकों द्वारा आसान पहुंच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अपलोड किया जाता है ।

****